इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्याय पीठें झांसी और मेरठ में स्थापित करने का निर्णय

1151. **श्री हरि सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्याय पीठें उत्तर प्रदेश के झांसी और मेरठ नगरों में स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन न्याय पीठों को कब तक स्थापित किया जायेगा।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन पड़े मामले

1152. **श्री हरी सिंह :**

श्री चन्दुलाल चन्द्राकर : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा एक वर्ष में औसतन कितने मामले निपटाये गये ;

(ख) क्या इस धीमी गति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन पड़े मामले को एक न्यायोचित अवधि तक ही निपटा दिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निर्णयाधीन मामलों को निपटाने के लिये कुछ नये न्यायाधीश नियुक्त करने का है?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) गत तीन वर्षों में निपटाए गए मामलों का औसत 6,640 था।

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा लम्बित मामलों को शीघ्रता से निपटाने का हर प्रयास किया जा रहा है।

(ग) संविधान के अधीन अनुज्ञेय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 14 है, जिसके अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश भी है। उच्चतम न्यायालय में पहले से ही न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है। न्यायाधीशों की संख्या में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में श्रमिकों के मामलों को निपटाने के लिये पृथक 'बेंचे' स्थापित करने का प्रस्ताव

1153. **श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में श्रमिकों के निपटाने के लिए पृथक 'बेंचे' स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में 13 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2340 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) श्रमिक विवादों को निपटाने के लिये उच्च न्यायालयों में विशेष बेंचे स्थापित करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है,

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?